हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी
उपस्थित। ~~वकील~~ तहसीलदार की
ओर से रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल
की गई। वकील प्रार्थी ने बहस जारी
रखी। वकील प्रार्थी की बहस सुनी
गई व पत्रावली का अवलोकन
किया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना
पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश
पृथक से लिखाया जाकर शामिल
किया गया। पत्रावली फैसल शुदा
होकर नत्थी रिकार्ड हो।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 09/2023
दायर दिनांक :– 12.01.2023

अनवान

सोहनलाल पिता दुर्गा लाल रेगर नि. अमरगढ तहसील जहाजपुर

प्रार्थी..............

बनाम

तहसीलदार जहाजपुर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

अप्रार्थी..............

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक

श्री अतुल जोशी, एडवोकेट प्रार्थी

:: आदेश :: दिनांक 02.08.2023

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भगुनगर पटवार हल्का भगुनगर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा में खाता संख्या 162 की आराजी नम्बर 124 रकबा 1.7388 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 126/3 रकबा 0.1080 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 1.8468 हैक्टेयर कृषि आराजी स्थित है जो राजस्व रिकार्ड में मुझ प्रार्थी के खाते में दर्ज होकर मुझ प्रार्थी के ही कब्जे कांशत में चली आ रही है। मुझ प्रार्थी को अपनी उपरोक्त कृषि आराजीयात आ.न. 124 में आने जाने का एक मात्र रास्ता नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शायें एम डी आर 7 (जहाजपुर से काछोला रोड़) से आराजी खसरा नम्बर 379/112 में से होकर प्रार्थी अपनी कृषि आराजीयात में पहुचता है। प्रार्थी इस रास्ते का उपयोग व उपभोग कई वर्षो से निरन्तर व निर्बाध रूप से कर रहे है। मौके पर रास्ता 30 फीट चौड़ा है। प्रार्थी को अपनी कृषि आराजीयात में आने जाने के लिये खसरा नम्बर 379/112 में से होकर आने जाने वाला एक मात्र रास्ता है इस रास्ते की प्रार्थी को आत्यांतिक आवश्यकता है। यह केवल जोत के सुविधाजनक उपभोग के लिये नहीं है। प्रार्थी को अपनी कृषि आराजी में आने जाने कृर्षि उपकरण ले जाने के लिये आराजी नम्बर 379/112 में से होकर जाने वाले रास्ते के अलावा दूसरा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। खसरा नम्बर 379/112 के खातेदार राजस्थान सरकार के नाम पर दर्ज होकर किरम पड़त है। प्रार्थी को अपनी उपरोक्त कृर्षि आराजीयात में आने जाने के लिए आराजी नं. 379/112 में से 20 फीट चौड़ा रास्ता की आत्यांतित आवश्यकता हैं। जिसमें से होकर प्रार्थी एम डी आर 7 पर पहुच सकेगा। उक्त रास्ते के लिए जो भी हर्जा खर्चा है वो प्रार्थी भुगतने को तैयार है। अत: श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी का

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर आराजी नम्बर 379/112 में से 20 फीट चौड़ा रास्ता देने व उक्त रास्ते की भूमि को राजरव अभिलेख में रास्ते की किस्म में दर्ज करवाने का अप्रार्थी को आदेश प्रदान करावें ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई।

प्रार्थी की आराजी न. 124, 126/3 में पहुँचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता है या नही तथा वैकल्पिक रास्ता नही होने की स्थिति में मार्ग में आने वाली आराजी का रकबा एवं डी एल सी दर अनुसार जॉच कर तहसीलदार जहाजपुर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार जहाजपुर ने जरिये पत्र दिनांक 17.04.2023 से रिपोर्ट भिजवाई, जिसे शामिल फाईल किया गया। तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की जोत तक पहुंचने के लिये वैकल्पिक रास्ता नही है। तथा प्रार्थी की जोत तक आने जाने के लिये लघुत्तम रास्ता खसरा नं. 379/112 में से रास्ता देने पर 0.0324 हैक्टेयर भूमि प्रभावित होगी। रिपोर्ट के साथ डी एल सी दर की प्रति संलग्न है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थी की जोत आ.न. 124, 126/3 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। खसरा नं. 379/112 सरकारी होने के कारण कुछ व्यक्ति रास्ता अवरूद्व कर देते हैं, जिससे प्रार्थी को अपनी कृषि जोत के उपयोग हेतु उक्त रास्ता को दर्ज रिकोर्ड करवाने की आंत्यातिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करा रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराना फरमावे।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थी अपने आ.न. 124, 126/3 में आने जाने हेतु ख. न. 379/112 में से रास्ता चाहते है। तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के आ.न. 124, 126/3 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता दर्ज रिकोर्ड नही है। एवं प्रार्थी की उक्त आराजियात में आवागमन हेतु बिलानाम आराजी सं. 379/112 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया है। अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थी की आ.न. 124, 126/3 तक पहुँचने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। वैकल्पिक रास्ते के अभाव में और रास्ते की आंत्यांतिक आवश्यकता होने के कारण न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. ए. स्वीकार किया जाता है और ग्राम भगुनगर पटवार हल्का भगुनगर तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ. न. 124, 126/3 में आने जाने के लिये आ. न. 379/112 से रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रास्ते हेतु आ.न. 379/112 में से रास्ता देने पर कुल 0.0324 हैक्टेयर भुमि

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

प्रभावित होगी। तथा आ. न. 379/112 में रास्ते से प्रभावित रकबा 0.0324 हैक्टेयर की एवज में डी एल सी दर की के दुगुने के हिसाब से 36,600 रू. प्रतिकर देय है, जो मौके पर प्रार्थी राजकोष में जमा/अदा करेंगे। उपरोक्तानुसार रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शा सीट पर तरमीम कर नामान्तरकरण दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

क्रमांक / रीडर / 23 / मु.न. 09 / 2023 दिनांक 02.08.2023

निमित,

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :– प्र. सं. 09 / 23 अनवान सोहनलाल पिता दुर्गालाल रेगर नि. अमरगढ बनाम तहसीलदार जहाजपुर में रास्ता तरमीम करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम भगुनगर पटवार हल्का भगुनगर तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ. न. 124, 126 / 3 में आने जाने के लिये आ. न. 379 / 112 से रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रास्ते हेतु आ.न. 379 / 112 में से रास्ता देने पर कुल 0.0324 हैक्टेयर भुमि प्रभावित होगी। तथा आ. न. 379 / 112 में रास्ते से प्रभावित रकबा 0.0324 हैक्टेयर की एवज में डी एल सी दर की के दुगुने के हिसाब से 36,600 रू. प्रतिकर देय है, जो मौके पर प्रार्थी राजकोष में जमा / अदा करेंगे। उपरोक्तानुसार रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शा सीट पर तरमीम कर नामान्तरकरण दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर(भीलवाडा)

C : Tahsildar/km/RASTA 251 LETTER SS